न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
07 / 2023	06.01.2023	16.01.2024

उनवान

1. श्री पप्पुलाल पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री कालूराम पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री चान्दमल पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री राजकुमार पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री रोशनलाल पिता जेठमल माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री डालचन्द पिता देवा माली मृतक के बजायः–
   1/1–छोटुलाल पिता स्व. डालचन्द माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति रूकमणी बाई पत्नि मोतीलाल विश्नोई निवासी आजादनगर भीलवाडा।
3. श्री शम्भू सिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री राधाकिशन पिता भुरा दरोगा निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री गजेन्द्र सिंह पिता चावण्ड सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री निर्भय सिंह पिता जवान सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्री महिपाल सिंह पिता भगवान सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्रवण कुमार सैन
अप्रार्थी संख्या 1/1 स्वंय उपस्थित
अप्रार्थी संख्या 2 से लगायत 8 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 785 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 234 रकबा 1.1760 हैकटेयर किता 01 रकबा 1.1760 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 उपस्थित, अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 8 के विरूद्ध दिनांक 13.6.2023 कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1/1 उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। जिस पर विपक्षी संख्या 1/1 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही कर पत्थरगढी किये जाने का समर्थन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 785 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 234 रकबा 1.1760 हैकटेयर किता 01 रकबा 1.1760 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1/24

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा